जनगर्जन

वर्ष 25 अंक 1 मासिक नई दिल्ली सितम्बर-2010 विक्रमी संवत्-2067 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक-शुल्क: 60रुपये

कश्मीरी जनता को विश्वास में लिया जाए

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

कश्मीर में जारी हिंसा देश के सम्मुख एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इस समस्या के समाधान के लिये प्रधानमंत्री द्वारा देश के सभी राजनैतिक दलों की बैठक का आह्वान इस समस्या के समाधान का सही कदम सही एवं उचित कदम था। श्रीनगर और जम्मु में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिमंडल के दौरे से राजनैतिक नेताओं के इन सभी घटनाओं पर एकमात्र मूकदर्शक बनकर रहने की व्यथा भी समाप्त हो गयी।

घाटी में शान्ति स्थापना के लिये हमारे देश के राजनैतिक दलों के बड़े नेताओं ने एक स्वर में सरकार से सक्रियता दिखाने की मांग की। सरकार से उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर के लिये आर्थिक सहायता आवश्यक लोगों और उचित स्थान पर सही तरीके से पहुँचना चाहिये। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने बैठक में कहा कि सरकार जो भी कदम उठाये, वह जमीनी सच्चाई पर आधारित होनी चाहिये। किसी भी प्रकार के निर्णय या कार्य से पूर्व कश्मीरी जनता को विश्वास में लिया जाना चाहिये। नौजवानों द्वारा पत्थरबाजी का अर्थ यह नहीं कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं रहा। बल्कि आज वे महसूस कर रहे है कि राज्य और केन्द्र की सत्ताधारी उन्हें धोखा दे रही है। अत: घाटी में आन्दोलनकारी युवाओं के मन में विश्वास लाने के लिये सभी आवश्यक प्रयास किये जाने चाहिये। अपराधियों और उनके नापाक इरादों को चिन्हित करते हुये उसे कश्मीरी जनता के सामने उजागर करना चाहिये। इसके लिये सरकार सभी राजनैतिक दलों से उनकी ताकत और प्रभाव, सामाजिक संगठनों, धार्मिक प्रमुखों, शैक्षणिक, युवा संगठनों, मिडिया कर्मियों, ट्रेड यूनियन नेताओं आदि से बिना किसी पूर्वाग्रह के सहयोग मांगे।

ऑल पाटी प्रतिनिधि एक अच्छी पहल थी लेकिन इतना कम अवधि का है कि इससे सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं है। कम समयावधि के कारण कई संगठनों को प्रतिनिधिमंडल से मिलने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार की कमियों से उलट प्रभाव हो सकता है। माननीय गृहमंत्री एवं प्रतिनिधि दल के नेता श्री पी. चिदम्बरम द्वारा युवाओं के साथ खुली सभा से उनमें एक नई चेतना जागी जिससे उन्हें यह महसूस हुआ कि सरकार इस समस्या के प्रति सिर्फ राजनैतिक दलों से ही नहीं वरन् गलियों की जनता से भी चर्चा कर रही हैं। जिससे निश्चय ही एक सार्थक संदेश गया और वे महसूस करते है कि भारत के राजनैतिक श्रेणियां भी हमारे दर्द में साथ है।

अब सरकार को पहल करनी है। पंचायत राज अधिनियम के तहत राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव अवलिम्ब कराये जाने चाहिये। इससे स्थानीय स्तर पर निश्चय ही युवाओं को नीति निर्धारण में भागीदारी करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से स्थानीय सरकार से सत्ता का विकेन्द्रीकरण और स्थानीय विकास होगा तथा केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से कश्मीर की ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तथा स्थानीय जनता में यह भावना जागृत होगी कि स्थानीय विकास के लिये उनके विचारों को माना गया। मनरेगा का क्रियान्वयन ईमानदारी पूर्वक किया जाना चाहिये तथा इस पर कड़ी निगरानी रखे और इसमें युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करें। युवा संगठनों, सामाजिक संस्था संगठनों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन करके उनके विचारों और विकास के कार्यक्रमों को जानना चाहिये। लघु और घरेलु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार उन्हें सस्ते ब्याज दर पर ऋण, विपणन सुविधा और लाईसेंस प्राप्त करने की जटिलता समाप्त करने आदि की सुविधा दी जानी चाहिये। विवादास्पद 'सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (ए.एफ.एस.पी.ए.) रद्द किया जाना चाहिये। जब चुनी हुई सरकार सत्ता में है तब इस प्रकार के कठोर कानून के लागू करने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। 'सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (ए.एफ.एस.पी.ए.) के हटाने के मतलब यह नहीं है कि जम्मू और कश्मीर की सीमावर्ती क्षेत्रों से सैनिक हटा लिया जाये। इसका विरोध होना चाहिये। 'सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (ए.एफ.एस.पी.ए.) से बिना किसी कारण के निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने, आगजनि और परेशान किया जा रहा है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिये। 'सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (ए.एफ.एस.पी.ए.) जनता में नाराजगी का एक बहुत बड़ा कारण है। इस समस्या का सरकार साकारात्मक समाधान करे।

भगवा आतंकवाद शब्द का उच्चारण क्यों ?

हाल ही में राज्य पुलिस प्रमुखों और पुलिस अधिकारियों की वार्षिक सम्मेलन में जब, केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम एक तीखा संदर्भ दिया 'भगवा आतंवाद', कांग्रेस पार्टी का एक बड़े घटक ने इसकी कड़ी आलोचना की। उसके उपरान्त, तब, हमलोग कुछ अपरिहार्य सवालों का सामना कर रहे हैं – की 'भगवा आतंवाद' का यह एलर्जी का उच्चारण क्यों हुआ। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार की आतंकवाद न के बराबर है, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं जैसे दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर वक्तव्य दिया की कोशिश की आतंकवाद का कोई रंग, धर्म, जाति या नस्ल नहीं होता। इसके अलावा, 'भगवा' एक पवित्र रंग है और भारतीय संस्कृति की गहराई में है। 'भगवा' धर्म और वीरता का प्रतीक है। अत: इसे किसी भी मायने में 'आतंकवाद' जैसे समाज विरोधी शब्दों से जोड़कर इसका निरादर नहीं करना चाहिये।

आतंकवाद के मुख्य दरवाजें से ध्यान हटाने के लिये यह एक चतुराई भरा मुद्दा हो सकता है। कांग्रेस नेताओं के विरोध के बावजूद, चिदम्बरम अपने बयान पर अड़े रहे और कहा कि 'भगवा आतंकवाद' कहने का तात्पर्य यह था कि कुछ बम धमाकों में 'दक्षिण पंथी कट्टरपंथी' दलों का हाथ होने की आशंका से है। जो भी हो, सच्चाई यह है कि देश में दोनों ही मुस्लिम कट्टरपंथी और हिन्दु कट्टरपंथी आतंवाद की घटनाओं के लिये जिम्मेदार है, जो एक दूसरे के निर्माण स्थलों पर बम फेंकते रहते हैं। और ये दोनों ही 'दक्षिणपंथी कट्टरपंथी' दलों से होते हैं। लेकिन कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लालच में इस सच्चाई से मुख मोड़ रही है। 1992 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद का ढहाना और 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में 37 लोगों की मौत दोनों गुटों के कट्टरपंथी आतंकवाद का उदाहरण है। आजादी के बाद (1947) से 1992 की अयोध्या की घटना हिन्दु कट्टरपंथियों की आतंकवादी राजनीति का उदाहरण है। गुजरात से शुरू होकर मुम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, वाराणसी और पूरे देश की अन्य कई घटनायें इस देश में घटित हुई। इसके लिये कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जिम्मेदार है जिन्होंने अपने कट्टरपंथी सहयोगियों के साथ मिलकर किया।

आतंकवाद के दूसरे पहलू में जो माओवादियों और नक्सलियों द्वारा फैलाया जा रहा है जो इस देश की सबसे बड़ी बुराई को बढ़ाने के लिये आग में घी की तरह कार्य कर रहा है। पार्टी के रूप में या पार्टी आधारित सरकार के रूप में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी नाकामियों और कमियों को छुपाने के लिये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अत: देश में दो दशकों से जारी जन विरोधी आतंकवाद को भगाने के लिये धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक वाम ताकतों को एकता के साथ प्रयास करना चाहिये।

शोषण पर टिकी व्यवस्था

स **जयंत वर्मा** स

वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा बताया गया था कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में देश के कुल 45.2 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में थे। असंगठित क्षेत्र के कामगारों में 26.9 करोड़ कृषि क्षेत्र में, 2.6 करोड़ निर्माण में नियोजित थे। बकाया कामगार व्यापार और परिवहन, संचार और सेवाओं में तथा गृह आधारित श्रमिक-बिड़ी बनाने, अगरबत्ती बनाने, पापड़ बनाने, वस्त्र सिलाई कसीदाकारी घरेलू नौकर जैसे कामों में लगे हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मकारों को परिवार की जरूरत पूरी करने योग्य वेतन तथा इज्जत की जिंदगी के लिए जरूरी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति की जाती है। असंगठित वर्ग के लिए परिवार के हर सदस्य, बच्चे महिला आदि को अपना पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है।

भारत के श्रमिकों वेतन देने की कोई नीति नहीं होने के कारण असंगठित वर्ग का निरंतर शोषण होता रहता है। अनेक कानून बनाए गए हैं जो असंगठित वर्ग के कामगारों को सुरक्षा दे सकते हैं, किन्तु देश में पूँजीवादी व्यवस्था होने के कारण सरकारी तंत्र उसकी अनदेखी करता रहता है।

स्वामी सहजानन्द सरस्वती के अनुसार जिस मजदूर को माहवारी वेतन मिलता है वह सर्वहारा नहीं है। दिहाड़ी पर रोज कमाने और किसी प्रकार जिन्दा रहने वाले श्रमिक और छोटे किसान तथा खेत मजदूर वास्तव में सर्वहारा है। अमेरिका में असंगठित वर्ग के श्रमिक को न्यूनतम आठ डॉलर प्रतिघंटा तथा ब्रिटेन में पाँच पौंड प्रति घंटा पारिश्रमिक तय है तथा इसे कड़ाई से पालन कराया जाता है।

औपनिवेशिक काल में दो प्रकार की सामाजिक शक्तियाँ उभरी। एक किसान और आदिवासी, मजदूर, कारीगर, शहरी गरीब, फुटकर व्यापारी तथा दूसरी तरफ जमींदार, राजा, नवाब, साहूकार, महाजन, पूँजीपति थे जिनकी सम्पत्ति की रक्षा अँग्रेजी हूकुमत द्वारा की जाती थी। ये अँग्रेजी शासन के स्तंभ थे। शोषण पर टिकी अँग्रेजी शासनकाल की व्यवस्था में मजा लूटने वाले इस वर्ग के अधिकांश लोग राजनीति में कूद पड़े तथा सत्ता के हस्तान्तरण द्वारा शासन अपने हाथ में ले लिया। पहला वर्ग शोषण का शिकार रहकर सदा मुफलिसी और गुरबत में था। प्रत्यक्ष शोषण जमींदार, साहूकार और महाजन द्वारा तथा अप्रत्यक्ष शोषण दलाल, पूँजीपति, विदेशी पूँजी और विदेशी सत्ता द्वारा होता था।

आजादी के बाद भारत का संविधान बना जिसमें 10 दिसम्बर 1948 को घोषित मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद के 23(3) में दर्ज हकदारी के सिद्धान्त 'पारिवारिक वेतन' के विपरीत अनुच्छेद-43 में निर्वाह मजदूरी लिख दी गयी।

साम्यवादी पार्टियों ने अपना सारा ध्यान संगठित वर्ग के श्रमिकों पर लगाया तथा असंगठित वर्ग के शोषण के प्रति आँखे मूद ली। कदाचित

इसलिए कि साम्यवादी पार्टियों का नेतृत्व भी शोषक वर्ग के हाथ में था और उन्होंने सर्वहारा की भलाई हेतु जुबान हिलाने के अलावा कुछ नहीं किया। नतीजा यह है कि भारत में शोषित मजदूर और किसान का वामपंथी दलों से मोहभंग हुआ और आज उनके सामने अस्तित्व का संकट छाया हुआ है।

अँग्रेजी हुकूमत में और उनके बाद कारीगरों का शोषण हुआ। पूँजी केन्द्रित उत्पादन प्रक्रिया में उनके काम-धन्धे खत्म हो गये और वे मजदूर बन गये। किसान पर तरह-तरह के टैक्स/लगान लगा कर उन्हें कंगाल बना दिया गया। आजादी के बाद सरकार ने खेती किसानी की बजाए एग्री-बिजनेस को बढ़ावा देकर खेती को घाटे का सौदा बना दिया। छोटे किसान, बटाईदार किसान और जर्जर किसानों की हालत यह है कि वे सदा कर्ज में डूबे रहते हैं और लगभग 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण की नीतियों के चलते विगत 15 वर्षों में भारत के लाखों लघु उद्योग ठप्प पड़ गए। विश्व व्यापार संगठन द्वारा संरक्षण की नीति का परित्याग करवाया गया और करोड़ो संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र में आ गए।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाया जा रहा है जिसमें पूर्णत: स्वचालित उत्पादन प्रक्रिया वाले उद्योग लग रहे हैं। नए रोजगारों का सृजन नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर भारत में श्रमिक के शोषण पर टिकी व्यवस्था कायम है तथा मजदूर और किसान के शोषण से लाभान्वित वर्ग व्यवस्था के सभी स्तंभों पर काबिज है इस कारण शोषण को खत्म करने की चर्चा तक नहीं होती है। असंगठित वर्ग की आजीविका का अध्ययन करने के लिए अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार देश की 83 करोड़ आबादी 20 रुपये प्रतिदिन से कम आय पर गुजारा कर रही है। दो डॉलर प्रतिदिन आय के अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड से विकसित और समृद्ध भारत की 80 फिसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। विश्व की सर्वाधिक निर्धन आबादी भारतभूमि पर निवासरत है। हमारी व्यवस्था कितनी लोक कल्याणकारी है यह इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है।

बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम के प्रतिनिधियों ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया

जम्मू एवं कश्मीर की समस्या का जायजा लेने के लिये बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम के 14 सदस्यीय प्रतिनिधी दल ने 17 व 18 सितम्बर 2010 को जम्मू व कश्मीर का दौरा किया तथा 18 सितम्बर 2010 को वे महामहिम राज्यपाल श्री एन.एन. वोहरा जी से राज भवन में मिले। उन्होंने बताया बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम त्रिदेशीय संघ है जो तीनों देशों की संस्कृति, जनता से जनता के विचारों का आदान प्रदान करता है ताकि आपस में एक दूसरे को अच्छा संदेश प्राप्त हो सके और शांति बनाया जा सके।

प्रतिनिधी दल का नेतृत्व बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम के राष्ट्रीय सचिव डॉ. सूनीलम ने किया, उन्होंने राज्यपाल को वर्तमान दौरे के उद्देश्यों विशेषकर कश्मीर घाटी के दौरे के संदर्भ में पूर्ण विवरण दिया। इसके अलावा उन्होंने राज्यपाल को बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम के देश में किये गये अन्य दौरों की भी व्याख्या की। डॉ. सूनीलम ने बताया कि बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम श्रीनगर में शांति सम्मेलन करना चाहता था, किन्तु घाटी में नाजुक परिस्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया।

राज्यपाल से एक घंटे के चर्चा के बाद बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम के कार्यकर्ताओं ने कई सुझाव दिये, ज्ञापन सौंपा, और घाटी में शांति स्थापना के लिये त्वरित एवं उचित कार्यवाही की जाये।

प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने के पश्चात् राज्यपाल जी ने दर्शाया कि वाकई घाटी में शांति स्थापना नितांत ही आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि घाटी में विद्रोह की परिस्थिति के कारण कई जान-माल की हानि हुई है, सबसे ज्यादा नुकसान शैक्षणिक व्यवस्था को हो रहा है जिससे कारण नौजवानों के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

प्रतिनिधि दल में अन्य सदस्य थे - गुड्डी (सहसंयोजक - युसूफ मेहेरली युवा बिरादरी), गोपा मुखर्जी (सह संयोजक - बीबीपीपीएफ), रिता चक्रवर्ती (सदस्य - बीबीपीपीएफ), मुजिबर रहमान मलिक (सदस्य - बीबीपीपीएफ), राजेश कुमार (सदस्य - युसूफ मेहेरली युवा बिरादरी), संदीप कुमार (सदस्य युसूफ मेहेरली युवा बिरादरी), वैभव निगम (सदस्य भारत स्वीमान), फैयाज भट्ट (अध्यक्ष जम्मू एण्ड कश्मीर पीस फाउण्डेशन), गुलाम हसन मीर (संगठन सचिव पीस फाउण्डेशन), मालान शहजाद साईमन, गुलाम नबी (सदस्य), शेख अब्दुल रहमान साहेब (पूर्व सांसद)

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

हमारे राष्ट्रीय जीवन में युवाओं की भूमिका

सभापति महोदय और मित्रों,

आपने सैन्ट्रल प्राविन्स के प्रांतीय युवा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाकर मुझे जो सम्मान दिया है इस हे मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

हम अपने राष्ट्रीय इतिहास के एक भीषण दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में युवा वर्ग का यह कर्तव्य है कि भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा निश्चित करने को लेकर सभी युवाजन एकजुट हो जाएं। मुझे यह स्थिति बहुत आशाजनक लगती है कि सैन्ट्रल प्राविंस के युवा अपने बड़ों से मार्गदर्शन की अपेक्षा किये बिना हमारे राष्ट्रीय जीवन की आधारभूत समस्याओं पर विचार करने हेतु यहां एकत्र हुये है। यदि मैं आपके पवित्र उद्देश्य की सफलता में कुछ सहयोग कर सका तो यह मेरा सौभाग्य होगा।

इस देश में कुछ ऐसे लोग भी है – इनमें कुछ संभ्रांत व्यक्ति भी शामिल है – जो आज के युवा आंदोलन को कुछ किरत की नजर से देखते हैं या यह दर्शाते है कि वे इस आंदोलन के उद्देश्य और महत्त्व की प्रशंसा नहीं करना चाहते। दूसरे वे लोग है जो युवा आंदोलन के आंतरिक अर्थ को नहीं समझते लेकिन उन्होंने इस आंदोलन से जुड़ना संभवत: इस भावना के कारण स्वीकार कर लिया कि भागीदारी के बिना कोई आंदोलन नहीं बढ़ना चाहिये।

भारत के वर्तमान पुनर्जागरण के आरंभ से लेकर अब तक अनेक आंदोलन और विचारधारायें एक के बद एक सामने आई। इस आंदोलन के सासत्य में एक दूसरे आंदोलन का अस्तित्व में आना इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि युवा आंदोलन समय की एक मांग थी। व्यक्ति और राष्ट्र के मन में एक लालसा रही थी जिसकी संतुष्टि के लिये युवा आंदोलन अस्तित्व में आया। वह मूल–भूत लालसा क्या है वह स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की इच्छा है।

आज देश को एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है जो व्यक्ति और राष्ट्र को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर सके और साथ ही आत्मनिर्भरता और आत्मभिव्यक्ति की शक्ति प्रदान कर सके। ऐसे लोग भी है जो हमारे युवा सम्मेलनों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पिछली कतारों में बदलना पसंद करेंगे। लेकिन ये लोग युवा आंदोलन के उद्देश्य और महत्त्व से अनभज्ञ है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्राथमिक रूप से एक राजनीतिक संस्था है इसलिये इसका क्षेत्र प्रतिबंधित है यहाँ तक कि राजनीतिक समस्या के संबंध में इसके उद्देश्य को खुलकर व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे युवक युवतियां जो जीवन को समग्रता में देखते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में आजादी चाहते हैं विशुद्ध राजनीतिक संस्था से असंतोष अनुभव करते हैं। वे एक ऐसे आंदोलन की ओर आकृष्ट होना चाहेंगे जो मानव की तमाम लालसाओं और हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दिशा में प्रयासरत है। अतएव, इससे ध्वनित होता है कि युवा आंदोलन मात्र राजनीतिक नहीं हैं और गैर राजनीतिक भी नहीं है। जीवन की भांति इसका क्षेत्र भी व्यापक है जिस प्रकार संपूर्ण में सभी अंश अंतनिर्हित रहते हैं उसी प्रकार यह निश्चित समझिये कि युवा आंदोलन हमारे राजनीतिक विकास का उत्प्रेरक साबित होगा।

युवा आंदोलन वर्तमान व्यवस्था से हमारे असंतोष का प्रतीक है। यह युगों–युगों की दासता, बर्बरता और उत्पीड़न के खिलाफ युवाओं के संघर्ष को व्यक्त करता है। यह तमाम बेड़ियों को तोड़ते हुये और मनुष्य की सर्जनात्मक सक्रियता को विकास के अवसर प्रदान करते हुए एक और नये बेहतर संसार का निर्माण करना चाहता है। अतएव युवा आंदोलन आज के आंदोलनों पर अतिरिक्त या बाह्य रूप से आरोपित कोई चीज नहीं है। यह एक सच्चा स्वतंत्र आंदोलन है। इसकी जड़े मानव स्वभाव में गहरे समाई हुई है।

यह आंदोलन इसलिये अस्तित्व में आया क्योंकि यह समय की मांग और मानव मन की लालसा को पूरा करता है या पूरा करने का प्रयास करता हे यदि कोई इस आंदोलन के निहितार्थ और उद्देश्य से वाकिफ नहीं है तो सिर्फ आंदोलन में भाग लेकर युवा संघों को हथियाकर कुछ नहीं कर सकता। मेरी समझ से युवक के चारित्रिक लक्षण न हों। जैसा कि मैं पहले संकेत कर चुका हूँ कि तमाम युवा आंदोलनों का मूल लक्षण मौजूदा व्यवस्था से असंतोष है और वे एक बेहतर व्यवस्था चाहते हैं। उनका उद्देश्य सभी बंधनों से मुक्ति दिलाना है और ऐसी प्रथाओं और अधिकारिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ना है जो मानवीय अंतकरण पर बलपूर्वक पाबंदियां लगाती हैं। उनका लक्ष्य आत्मविश्वास और स्वावलंबन है अपने बड़ों को अंधानुकरण नहीं करना चाहते। इन परिस्थितियों में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे कुछ वरिष्ठ लोग इन आंदोलन को नापसंपद करते हैं।

युवा आंदोलन का उद्देश्य हमारे संपूर्ण जीवन का पुनर्निर्माण और एक नये आदर्श से प्रेरणा लेते हुये कार्य करना है। यही आदर्श हमारे द्वारा निर्मित जीवन को एक नया अर्थ और महतव प्रदान करेगा। यह आदर्श है – पूर्ण स्वतंत्रता। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता में अन्योन्याश्रित संबंध है। स्वतंत्रता के बिना आत्मनिर्भरता संभव नहीं है।

युवा आंदोलन अपनी पकृति में जीवन के साथ सह अस्तित्व बनाये हुए है। हमारे जीवन की भांति इसके भी विधि पक्ष हैं। यदि हम शरीर को तरूण बनाये रखना चाहते हैं तो हमें खेलकूद और जिमनास्टिक की जरूरत होगी। यदि हमें मन को मुक्त और पुर्शिक्षित करना है तो हमें एक नये साहित्य, उच्चत्तर शिक्षा तथा नैतिकता की स्वथ्य धारणा की जरूरत होगी। यदि हमें समाज को नया रूप देना है तो हमें रूढ़िविचारों और प्रथाओं के

स्थान पर नये और स्वस्थ्य विचारों को आश्रय देना होगा। इससे भी आगे हमें मौजूदा सामाजिक और नैतिक मूल्यों का अपने युगीन आदर्शों के आलोक में पुनपरीक्षण करना होगा और यथासंभव हमें मूल्यों के एक नये मानदंड को स्थापित करना होगा जो भविष्य के समाज को शासित करेगा।

यह स्वाभाविक है कि विचार और क्रिया की एक नई दिशा का संधान करते हुए हमें मौजूदा आदर्शों, निहित स्वार्थों और सत्ता के विरुद्ध आगे बढ़ाना होगा। लेकिन हमें इस बात से भयभीत नहीं होना चाहिये।विरोधियों तथा दूसरी अनगिनत बाधाओं के रहते हुये युवा आंदोलन की प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे मौके भी आयेंगे जब हम हर ओर घिरे होंगे और हमें लगेगा कि हम शेष दुनिया से कटे हुये हैं। ऐसी मूसीबतों में आयरलैण्ड के महान देशभक्त के इन शब्दों को याद करना चाहिये जो कि उसने भीषण संकट के दौर में विजयी भाव से ओतप्रोत होकर कहे थे - "जिस प्रकार एक वयक्ति संसार का उद्धार कर सकता है उसी प्रकार एक अकेला व्यक्ति आयरलैण्ड को बचा सकता है।" युवा आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में जिस क्षण आप जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता के सिद्धानत को लागू करेंगे उस समय बहुतों को अपना शत्रु भी बना लेंगे। निहित स्वार्थ वाले लोग आपके प्रचार कार्य को ध्वस्त करने के उद्देश्य से एकजुट हो जायेंगे। यहां तक कि एक अपराजय शत्रु से एक मोर्चा पर लड़ना आसान है लेकिन इसके साथ-साथ हर मोर्चे पर तमाम शत्रुओं से लड़ना बहुत कठिन है। अतएव युवा आंदोलन के कार्यकर्ताओं को उन दुरजे शत्रुओं से लड़ने के लिए तैयार करना होगा जिनका कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं को सामना करना पड़ता है।

युवा आंदोलन में दूसरी कठिनाई भी है। जिसका पूर्वानुमान कर लेना चाहिये और जिसको लेकर हमें पहले से सावधान हो जाना चाहिये एक राजनीतिक आंदोलन या मजदूर आंदोलन में आम को एक बड़ी भीड़ पर काबू पाने के लिए आप को कभी-कभी हटकर भी काम करना पड़ सकता है। जनता से अपना संपर्क बनाये रखने के सिलसिले में किसी मौके पर आपको उसके स्तर तक नीचे उतरना पड़ सकता है। दूसरी युवा आंदोलन में आप को लोकप्रियता का मोह भी छोड़ना पड़ेगा। यदि आपके मन में ऐसी कोई भावना है किन्हीं मौकों पर आप को जनमत तैयार करने या लोकप्रिय भावना के ज्वार को रोकने की जिम्मेदारी उठाना पड़ सकता है। यदि आप अपने राष्ट्रीय जीवन की आधारभूत समस्याओं का समाधान करने की इच्छा रखते है तो आपको अपने समकालीनों से मीलों आगे देखना होगा। आम जनता का मन आज भी मान्यताओं से मुक्त होने और भविष्य के गर्भ में झांकने के स्थिति में नहीं है। यदि तुम भविष्य की बुराइयों का पूर्वानुमान करने के उपाय सुझा सकते हो तो कोई कारण नहीं जनता इन्हें अस्वीकार करें। ऐसे मौके पर तुम्हें यह साहस जुटाना होगा कि तुम अकेले खड़े हो सको और शेष दुनिसा से लड़ सको। हर समय सस्ती लोकप्रियता के प्रवाह में बहने वाला व्यक्ति न तो स्वयं इतिहास बन सकता है और न ही इतिहास की सृष्टि कर सकता है। यदि हमारे मन में इतिहास निर्माता बनने की अकांक्षा है तो हमें हर प्रकार की गलत फहमियों का सामना करने और किसी सीमा तक उत्पीड़न सहने के लिए तैयार रहना चाहिये। अपने भले से भ्झले काम के बदले अपशब्द सुनने के लिए तैयार रहना चाहिये। अपने निकटतम मित्रों द्वारा हताश किये जाने को लेकर तैयार रहना चाहिए।

लेकिन मानवीय प्रकृति मूलत: दैवीय होती है। गलतफहमियों, बुराइयों और उत्पीड़नों का समय कुछ लम्बा हो सकता है लेकिन एक दिन इसका अंत होता है। यहां तक कि अपने निष्कपट विचारों के लिए हमें मृत्यु का वरण करना पड़ सकता है। यद्यपि इस मृत्यु के माध्यम से हम अमरत्व को प्राप्त करेंगे अतएव हमें किसी भी आपातकाल के लिए तैयार रहना हैं। कांटों के कारण गुलाब की सुन्दरता तिगुनी बढ़ जाती है। जीवन की भी यही स्थिति है। त्याग, कष्ट और उत्पीड़न के अभाव में क्या जीवन बासी और फीका प्रतीत नहीं होगा।

विस्तार से देखें तो युवा आंदोलन के पांच पक्ष है - राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और सांस्कृतिक इस आंदोलन का दोहरा उद्देश्य है एक, इस पांच के विभाजन को समाप्त करना। दूसरे आत्मनिर्भरता और आत्मभिव्यक्ति के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार यह आंदोलन अपने चरित्र में ध्वंसात्मक भी है और रचनात्मक भी। नाश के बिना निर्माण संभव नहीं है इसीलिए हम प्रकृति में हर जगह नाश और निर्माण को साथ-साथ देखते हैं, यदि हम यह सोचते है कि नाश बुरा है और निर्माण अच्छा है और यदि हमरा विश्वास है कि नाश के बिना निर्माण संभव है तो हम बड़ी गलती पर है यदि हम नाश का अर्थ अंत मानते हैं तो भी एक एक भूल करते है जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन के विस्तार का अर्थ है नाश। कभी-कभी घोर विनाश असत्य, पाखण्ड, दासता और असमानता से कोई समझौता नहीं हो सकता। यदि हमें इन बेड़ियों को तोड़ना है तो कठोर प्रहार करना होगा। जब हमारा कर्तव्य आगे बढ़ता है तो न हमें पलायन करना चाहिए और न पीछे मुड़कर देखना चाहिए। यदि हमारे भीतर जीवन है - चिनगारी के रहित मात्र मिट्टी के ढेले नहीं है तो हमें रचनात्मक गतिविधि के साथ-साथ नाश को भी स्वीकार करना होगा।

आज भारत और इसके बाहर चलने वाले अनेक आंदोलन अपने चरित्र में सुधारवादी है। ये आंदोलन बिना किसी क्रांतिकारी परिवर्तन के हमारे जीवन के किनारों को छू लेते है लेकिन हमें सुधार नहीं क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है। हमारे निजी और सामूहिक संपूर्ण जीवन का पुनर्निर्माण है। इस नवनिर्माण को संभव बनाने के लिए हमें स्वतंत्रता की नई धारणा को स्वीकार करना होगा। देश और कामल के अनुसार स्वतंत्रता के अर्थ में परिवर्तन होता रहा है। दूसरे देशों की भांति हमारे देश में भी स्वतंत्रता का अर्थ विस्तार होता रहा है। आज अंतिम रूप में स्वतन्त्र का अर्थ है - पूर्ण मुक्ति। यही वयाख्या युवाओं को अपील भी करती है। अधूरी स्वतंत्रता को हम लम्बे समय तक स्वीकार नहीं कर सकते। हमें स्वतंत्रता की पूरी खुराक चाहिए और हम इसे जीवन के हर क्षेत्र में चाहते हैं। यदि हम स्वतंत्रता प्रेमी है तो हम किसी भी दासता और असमानता को सहन नहीं कर सकते हैं। चाहे

वह राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक या सामाजिक – हर क्षेत्र में हम स्वतंत्रता के सिद्धान्त को पूर्ण रूपेण लागू करना चाहते है। पुरुष और स्त्री सभी मनुष्य समान पैदा हुए। सबको विकास के समान अवसर मिलने चाहिऐ – हमारा एकमात्र नारा यही है। यह सिद्धान्त कहने में जिना सरल है व्यवहार में उतना ही कठिन है। इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए हमें बड़ी–बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

मित्रों, मैं इस बात का खुलासा करने में अनावश्यक रूप से अधिक समय नहीं लूंगा कि युवा आंदोलन के विस्तार में रूचि रखने वालों को किस प्रकार के कार्यक्रम अपनाने चाहिए। इस आंदोलन के सिद्धान्त और उद्देश्यों को स्पष्ट करने के साथ ही मेरा काम पूरा हो चुका है। हमारा एक महत्वकांक्षी आदर्श है संभवतः इतना महत्वकांक्षी कि यह किसी को भी ग्राह्य हो सकता है। हम अपने संपूर्ण जीवन को रूपांतरित करना चाहते है। स्वयं अपने लिए और मानवता के लिए होगा। यह स्वतंत्रता का जादुई स्पर्श है जो हमारे सुषुप्त गुणों को जागृत कद देगा और हमारे भ्ज्ञीतर सक्रियता का संचार कर देगा। हम स्वयं अपने तथा देशवासियों के मन में मुक्ति की कामना का कैसे जाग्रत करें। यह हमारी प्राथमिक समस्या है यदि हम अपने हृदय की गहराइयों से स्वतंत्रता की पुकार लगाते है तो हमें गुलामी की जंजीरों और पराधीनता की टीस का एहसास होना चाहिए। जब यह एहसास गहरा हो जायेगा तो हमें लगेगा कि स्वतंत्रता के बिना जीवन व्यर्थ है। हमारे इस अनुभव के तीव्र होने पर एक समय ऐसा आयेगा जब हमारी समूची आत्मा स्वाधीनता की उत्कंठा से आपूरित हो जायेगी।

इस सोपान पर पहुँच कर हम स्वतंत्रता के आदर्श को जनता तक पहुँचाने वाले मिशनरी बन सकते हैं। तब हमें आजादी के नशे में चूर नर नारियों को घर–घर गांव गांव और शहर–शहर जाकर स्वाधीनता का अलख जगाना चाहिये। इस प्रकार के परिणामस्वरूप हर क्षेत्र से जुड़े लोग जीवन की अनुभूति करेंगे। राष्ट्र, अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था सभी में एक नये आदर्श का रूपंदन सुनाई देगा। वह है स्वतंत्रता और समानता का आदर्श। मिथ्या, मानदंड, घिसे–पीटे रीति रिवाज और प्राचीन प्रतिबंध ध्वस्त हो जायेंगे। और धीरे–धीरे स्वतंत्रता और भातृत्व पर आधारित एक नयी अस्तित्व में आयेगी। तब हम न केवल एक राष्ट्रीय समस्या बल्कि एक विश्व समस्या का भी समाधान करेंगे।

भारत विश्व का सार संग्रह है। भारत की समस्याएं अपने लघुरूप में विश्व की समस्याएं है। इस प्रकार भारत की समस्याओं के समाधान का अर्थ विश्व की समस्याओं का समाधान है। भारत अकथनीय यातनाओं के बावजूद आज भी जीवित है क्योंकि उसके पास एक लक्ष्य है। भारत को अपनी रक्षा इसलिए करनी है क्योंकि अपनी रक्षा के द्वारा उसे विश्व की रक्षा करनी है। भारत को इसलिए स्वतंत्र होना है क्योंकि स्वतंत्र भारत विश्व की संस्कृति एवं सभ्यता के लिए योगदान कर सकेगा। विश्व भारत के उपहार की व्याग्रता के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। इसके अभाव में विश्व दरिद्र रहेगा।

मित्रों, हमारा दायित्व महान है युवा हर समय और परिस्थिति में स्वतंत्रता की मशाल थामें रहे हैं हमें दूसरे देशों के युवाओं के समक्ष एक उदाहरण रखना है उन्होंने दूसरी जगह जो कुछ प्राप्त किया है। उसे भारत के युवा यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे कोई कोई संदेह नहीं भारत की युवा अपने दायित्व को पहचानते हैं। मुझे कोई संदेह नहीं कि उनके त्याग, कष्ट और परिश्रम से भारत शीघ्र ही एक स्वतंत्र देश होगा। एक ऐसा देश जहां सभी नर नारियों को शिक्षा और विकास के समान अवसर उपलब्ध होंगे। हम सब गुलाम पैदा हुए है लेकिन हम आजाद मनुष्य की तरह रहने का निश्चय करते हैं। यदि हम अपने जीवन में भारत को स्वतंत्र नहीं देख पाते हैं तो कम से कम हमें भारत को स्वतंत्र कराने के प्रया की आहुति दे देना है। स्वतंत्रता का मार्ग एक कंटककीर्ण मार्ग है लेकिन यह अमरता का मार्ग है। सेंट्रल प्राविंस के मेरे बहनों और भाइयों। मैं इस पवित्र मार्ग के लिए आपका आह्वान करता हूँ।

(प्रथम सेंट्रल प्राविंस युवा सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में 29 नवम्बर, 1929 नागपुर)

विस्थापितों का महासम्मेलन चाण्डिल, झारखण्ड में संपन्न

31 अगस्त 2010 को अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक एवं विस्थापित मंच सरायकेला खरसांवा स्वर्ण रेखा जलाशय योजना द्वारा चाण्डिल, डाकबंगला में आयोजित विस्थापितों के महासम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता फारवर्ड ब्लॉक राष्ट्रीय महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास ने किया। महासम्मेलन में अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव एवं फारवर्ड ब्लॉक राष्ट्रीय सचिव साथी बीर सिंह महतो तथा महासम्मेलन का संचालन साथी जनार्दन पाण्डेय भी उपस्थित थे।

महासम्मेलन के मैथन, पंचेत, डीवीसी समेत देवघर जिलों के पुनासी व सिकरिया के विस्थापितों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री जनार्दन पाण्डेय जी के अनुसार महासम्मेलन में सर्वप्रथम स्वर्णरिखा जलाशय योजना में श्हीद हुए महारू महतो तथा पहारू महतो को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी और संघर्ष आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। उसके बाद महासम्मेलन को संबोधित करते हुये साथी देवब्रत बिश्वास ने कहा कि आज विकास के नाम पर सिर्फ पूँजी का विकास हो रहा है, जिससे आम जनता का भला नहीं होने वाला है।

बीर सिंह महतो ने विस्थापितों के लिए पुनर्वास नीति के बदले पुनर्वास कानून बनाने पर जोर दिया जाये। साथी पाण्डेय ने अपने संबोधन में कहा कि भूमि अधिग्रहण का कानून 1894 कम्पनी राज एवं ब्रिटिश हुकूमत के लिए हितैषी है उन्होंने कहा कि इसके बदले जनहितकारी भूअधिग्रहण कानून बनाने की आवश्यकता है। बकौल श्री पाण्डेय इस महासम्मेलन में सूबे झारखण्ड के विस्थापितों के पुनर्वास की लड़ाई धारदार बनने, जल,

जंगल, जमीन के अधिकार की लड़ाई के लिए 'नेताजी सुभाष विस्थापित मंच' नामक संगठन का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष साथी बीर सिंह महतो चुने गये। इस मंच में मदन मोहन महतो रंजित महतो, सुनील महतो, श्रीकांज महतो, जगन्नाथ महतो, त्रिखण्ड प्रमाणिक, आदिवासी घटवार महासभा, डीवीसी से राम प्रसाद सिंह, किशोर मरांडी, दिलीप कुमार, देवघर के पुनासी जलाशय योजना से विजय पासवान, रंजित पासवान, प्रकाश पासवान, उमेश पासवान, किसान-मजदूर समन्वय समिति सिकटिया बराज देवघर से सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, दीपक कुमार सिंह, ममलेश्वर सिंह, नगदी महता आदि सदस्य चयनित किये गये। सम्मेल को सफल बनाने के लिये संतोष महतो व मृणाल कांति महतो ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया।

महँगाई के खिलाफ धरना

दिल्ली : सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी और फारवर्ड ब्लॉक के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 26 अगस्त को जंतर मंतर पर बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। कीमतों का बढ़ना अब रोज की एक प्रक्रिया बन गयी है। सरकार का इसे रोकने का कोई भी कारगर कदम नहीं उठा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभामिक कर राशन का वितरण किया, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाये, कालाबाजारी, जमाखोरी और अनाजों का वायदा कारोबार पर लगाने की कोई व्यवस्था सरकार नहीं बना रही है और न ही इस ओर कोई ध्यान दे रही है। सरकार 35 किलो अनाज 2 रुपये प्रति किलो की दर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित करे। यहाँ तक कि कॉमन वेल्थ गेम से जुड़े घोटालों की जाँच या कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश के किसानों के आंदोलन का भी समर्थन किया

फारवर्ड ब्लॉक प्रतिनिधियों ने जम्मू एवं कश्मीर में ऑल पार्टी डेलिगेट से मुलाकात की

जम्मु एवं कश्मीर में क्रमशः 20 और 21 सितम्बर को जम्मू और कश्मीर पहुँचे ऑल पार्टी डेलिगेशन से अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। पहले प्रतिनिधी मंडल में दो सदस्यों साथी नूरूल अल मलिक और गुलाम मोहीउद्दीन शेख थे तथा दूसरे दल में साथी राजेन पादरी, डॉ. ए.के. खारू और साथी राज शर्मा थे। प्रतिनिधियों ने भारत सरकार के गृहमंत्री एवं ऑल पार्टी डेलिगेशन के नेता श्री पी. चिदम्बरम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन इस प्रकार से था:

जय हिन्द

हमारी पार्टी, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी क्षेत्र के भटके नौजवानों को देश की मुख्यधारा में वापस लाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। हमलोग घाटी के नौजवानों में देशभक्ति की भावना भरने के लिये कोशिश कर रहे हैं।

लेकिन यह बड़े दु:ख की बात है कि न ही राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को उनके इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं कर रही है। हमलोग इस बात का प्रचार करते हैं कि जब तक शान्ति स्थापित नहीं होगी विकास नहीं होगा, विकास के लिये शान्ति स्थापना जरूरी है। वर्तमान की हिंसा और अशांति की समस्या का कारण विकास की कमी और अनियंत्रित भ्रष्टाचार है। जम्मू और कश्मीर के लिये केन्द्र द्वारा घोषित राहत पैकेज जरूरतमंदों या उचित स्थानों तक नहीं पहुँच पाता है। यह भी एक सच्चाई है कि 2008 के चुनाव में वोटरों की संख्या बहुत ही बड़ी संख्या में भाग लेना यह दर्शाता है कि कि कश्मीरी जनता को देश के संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास है। लेकिन विकास के नाम पर पुन: चुनकर सत्ता में आई मौजूदा अयोग्य शासक राज्य के विकास में नाकाम रही जिससे जनता के अविश्वास पैदा हो गया।

सम्मान और श्रद्धा क साथ, हम आपका ध्यान कुछ आधारभूत समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहते है जिसके कारण जम्मू और कश्मीर के नौजवान विशेषकर के घाटी के नौजवान जो इस प्रकार सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं।

1. वर्तमान उत्पात जो कश्मीर घाटी में युद्ध की तरह जान पड़ता है इसका मुख्य कारण यह है कि न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर की जनता विशेषकर घाटी के युवाओं के लिये उचित और तर्कसंगत आशाओं को गंभीरता से नहीं लिया, इस उत्पात का मुख्य कारण है।
2. वे युवा जो सरकार के खिलाफ है जिन्होंने इस उत्पात किया, सरकार ने उनसे कभी सही तरीके से बातचीत नहीं की गइ औन न ही उनके साथ कभी अच्छा व्यवहार किया गया, बल्कि सरकार ने उन्हें जान से मारने की कोशिश जरूर ईमानदारी से की। जिससे अलगाववादियों और अन्य राजनीतिक संगठनों को इस परिस्थिति का लाभ उठाने का पूरा-पूरा मौका मिला। जिनमें कई युवाओं को बूरी तरह से प्रताड़ित किया गया और बाद में उन्हें बाद में पुलिस की संतुष्टि पर छोड़ा गया, जिसने सरकार के लिए स्थिति और गंभीर बना दिया और सरकार इस धमकी को रोकने की स्थिति में नहीं है।

3. सभी सरकारी विभागों में नीचे से लेकर ऊपरी स्तर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसका नतीजा यह हुआ कि जनता सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिये विवश हो गयी।

4. नौकरशाही नीचले स्तर से ऊपरी स्तर तक क्रमवार तरीके से राज्य की नौकरशाही जिनमें कुछ कांग्रेस, कुछ नेशनल कांफ्रेंस, कुछ पीडीपी और भाजता एवं हुर्रियत को बढ़ाने के लिये कार्य करते हैं, आम जनता के स्तर को बढ़ाने के लिये नहीं। यह भी एक कारण है जिसने युवाओं का ध्यान अपनी ओर किया कि ज्यादातर सुविधायें मंत्रालयों और नौकरशाहों में चला जाता है लेकिन आम जनता को कुछ भी नहीं मिला जिससे उनकी नाराजगी, अलगवादी सोच व क्रोध जायज है।

5. राज्य में शांति स्थापना के लिये आम जनता की ओर तुरन्त ध्यान देना आवश्यक है, और इसके लिये यह भी कहना आवश्यक है कि ये पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक जमीनी स्तर पर होना चाहिये, जिसके 'स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप' (एस.ओ.जी.) समाप्त किया जाये और जिनके रिश्ते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है उनके लिये 'करवानी अमन बस' की सुविधा और बढ़ाई जाये जो की मुफ्ति मोहम्मद सईद के समय में आरंभ हुई थी। विधायकों का जहाँत तक प्रश्न उन्हें जनता के साथ जमीनी स्तर पर गहरा संबंध बना कर रखना चाहिये, कहीं ऐसा न हो कि चयनित हो जाने के बाद अपने क्षेत्र में दुबारा जाये ही नहीं, जनता में इस कारण से भी नाराजगी है।

6. नीजि क्षेत्र के उद्यमों और सरकार द्वारा विभिन्न स्वयं रोजगार की योजनाया तो बाहरी लोगों को प्राप्त हो रही है या योजना इतनी जटिल है कि आम आदमी को कई कठिनाईयां आती है, जिससे सरकार के प्रति उनमें निराशा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि घाटी में जन आक्रोश का मुख्य कारण बरोजगारी है। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि वर्तमान शासन के मंत्री और नौकरशाह राजखजाने को लूटने में लगे हुये हैं, क्योंकि ये सभी इंगलिश बाबु है और सब कुछ उनके निकट और संबंधियों को ही मिल रहा है।

7. केन्द्र सरकार ने कश्मीर समस्या को एक कोने में फेंक रखा है और इसके प्रति कुछ भी नहीं कर रही है और भारत सरकार द्वारा गठित समयानुसार गठित विभिन्न कमिटियों से विचार विमर्श भी नहीं कर रही है। इस स्थान पर यह जताना आवश्यक है कि रंगा राजन कमिटी की सिफारिशों का क्या हुआ, जम्मू और कश्मीर में बिजली की समस्या नहीं है और राज्य में 5 लाख युवाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकत हैं इसके अलावा चार वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा गठित विभिन्न कमिटियों की सिफारिशों पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

8. राज्य सरकार समयानुसार निर्देशित करती है कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों और बगीचों से सुरक्षा शिविर खाली हो गये है जिससे लाखों लोगों को अपनी कार्यविधि/इकाई को पुनः आरम्भ कर सकते है, जो सरकार से नाराज है।

श्रीमान जी, हम कुछ अन्य सुझाव प्रस्ताव करना चाहते है यदि उन्हें लागु किया गया तो लोगों को शामिल करके कश्मीर में शांति लाई जा सकती है।

- स बेरोजगारी हल करने के लिये, रोजगार नीतिों की ओर ध्यान देना होगा, सार्वजनिक और नीजि क्षेत्रों एवं योजनाओं में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की मद से उसे लागू करना चाहिये। इससे लाभ सीधे-सीध्रे नीचले स्तर पर लोगों को मिलेागा।
- स जितनी जल्दी हो सके स्थानीय निकाय चुनाव करायें जाये ताकि सत्ता के विकेन्द्रीकरण की पहल की जानी चाहिये।
- स विवादास्पद 'सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (ए.एफ.एस.पी.ए.) में बदलाव लाना चाहिये, क्योंकि यह ठोस परिणाम देने में असफल रहा है।
- स राष्ट्रीय विकास और एकता के लिये स्वयं को न्यौछावर करने के लिये नौजवानों को सरकार आवश्यक सुविधायें, सुरक्षा, यातायात आदि दी जानी चाहिये।
- स राष्ट्रीय एकीकरण के लिये कार्य कर रहे युवाओं के परिवारों की सुरक्षा बढ़ाना चाहिये।
- स स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं से विचार करना चाहिये और उन्हें सहायता दी जानी चाहिये, जिससे जमीनी स्तर पर कार्य करने में उन्हें सुविधा होगी जिससे कश्मीर में शांति स्थापना करने में सहायता मिलेगी।
- स पूर्व आतंकवादियों, गरीबों, जरूरतमंदों और शिक्षित व्यक्तियों जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, के पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिये, ताकि अलगाववाद की धारणा आम आदमियों में कम की जा सके इसके अलावा राजय सरकार राज्य में रिक्त सभी सरकारी पदो को भरे, इससे बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी।
- स राज्य के सभी विभागों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है जिस पर नियंत्रण की आवश्यकता है योग्य और ईमानदार अधिकारियों उच्च पदों पर वहाँ स्थांतरित किया जाना चाहिये। जो पुलिस अधिकारी अपराधिक घटनाओं और भ्रष्टाचार में लिप्त है उन्हें चिन्हित करना चाहिये और ईमानदार तथा योग्य अधिकारियों को वहाँ स्थांतरित किया जाना चाहिये।
- स स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता से शांति स्थापना के लिये हमारा आग्रह है कि राजनैतिक कैदियों, क्षेत्रिय युवाओं और अन्य गुनाहगारों को मुक्त कर देना चाहिये ताकि पीड़ित परिवारों को सहायता मिले विशेष कश्मीर घाटी में शांति स्थापना में काफी सहयता दे सकते हैं। यह संकेत करना आवश्यक है कि स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ बेगुनाह युवाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं जिससे

पूरी जनता अलगाववादी ताकतों के साथ मिल जाते हैं जिसे रोकना बहुत ही आवश्यक है तथा एक खुला भर्ती स्थानीय स्तर पर विशेषकर पुलिस और अन्य विभागों में करनी चाहिये जिससे स्थानीय युवाओं को काफी सहयाता मिलेगी और वे स्वयं ही भ्रष्टाचार मिटाने में कामयाब हो पायेंगे जिससे कश्मीर घाटी में शांति स्थापना हो सकती है।

श्रीमान जी, ये कुछ और सुझाव हमारे द्वारा दिये गये और हम आशा करेंगे कि आपका बड़े ही दिल से इस पर विचार करेंगे जिसके लिये हम अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के स्थानीय कार्यकर्ताओं को आगे आने का अवसर प्राप्त होगा और जम्मू और कश्मीर राज्य में शान्ति स्थापना के लिये कार्य करेंगे।

नागरिक परमाणु दायित्व विधेयक लोकसभा में पारित : भारतीय जनता को मूर्ख बनाकर उनकी कीमत पर प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को तोहफा

नागरिक परमाणु दायित्व विधेयक 2010 दोनों सदनों में अंततः पारित हो गया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राहत की सांस मिली, क्योंकि उन्हें संसद के 75 प्रतिशत से अधिक का सहयोग मिला और वह भी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की संभावित भारत यात्रा के पहले हो गया। ऐसा तभी सम्भव हो सका जब कांग्रेस पार्टी अपने मूल विरोधी दल भाजपा जो शुरू में इस विधेयक का विरोध कर रही थी जो साईस एण्ड टैक्नोलॉजी इनवायरमेन्ट एण्ड फोरेस्ट स्टैण्डिंग कमिटी के बहस में परिलक्षित हो रहा था को अपने पक्ष में मोड़ लेने में सफलता प्राप्त की। स्टैण्डिंग कमिटी के चर्चा की परिधि से बाहर कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व कुछ सौदेबाजी करते हुये दिखे और नतीजा यह हुआ कि भाजपा इस विधेयक के पूर्ण समर्थन में सामने आई। स्टैण्डिंग कमिटी में वाम सदस्यों की भूमिका यह थी कि पूरा वाम और इसके सहयोगियों ने इस विधेयक का दोनों ही सदनों में विरोध किया और विभाजन के लिये दबाव डाला, लेकिन असफल रहे।

विधेयक से संबंधित अंदरूनी तथ्यों को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि राजद सरकार के कार्यकाल में प्रारंभिक तैयारी तो प्रो॰ कुटिनो की 2002 की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय की छत्रछाया में तैयार हो चुकी थी। संप्रग सरकार ने तो उसी कार्य को तेजी प्रदान किया और अमेरिका द्वारा संचालित सीएससी के साथ संबंध जोड़ा, और यह कार्य भारत सरकार और अमेरिकी प्रशासन ने लिखित रूप से तत्कालीन विदेश सचिव शिव शंकर मेनन और अमेरिकी अवर–सचिव विलियम बर्न्स के एक पत्र दिनांक 10 सितम्बर 2008 से स्पष्ट होता है जिसके अनुसार, "भारत सरकार और इसके सहयोगियों की मंशा यह है कि परमाणु ऊर्जा उद्योगों से चर्चा जारी रहे और इस नतीजे पर पहुँचे की भारत सरकार द्वारा दो स्थानों पर स्वीकृत किये गये परमाणु ऊर्जा संयेत्रों के निर्माण में सहयोग के समझौते को अमली रूप दिया गया। इन संयंत्रों से कम से कम 10,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होगी। भारत ने उचित परमाणु दायित्व के क्षेत्र में भी अपनी समझदारी को विकसित किया है और भारत सरकार की यह इच्छा है कि वह परमाणु क्षति की दशा में कन्वेंशन ऑन सप्लिमेंटरी कंपनसेशन (सीएससी) के सभी नियमों के साथ वचनवद्धता पूरी करेगा"।

इस विधेयक के पीछे एक गहरा तथ्य छुपा हुआ है कि संप्रग सरकार ने अमेरिकी प्रशासन के साथ 123 समझौते के अंतर्गत कुछ सौदेबाजी की थी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इन्हीं कारणों से इस विधेयक में रूचि ले रहे थे और तेज प्रयास इसे पारित करने में कर रहे थे। वे विपक्ष के द्वारा विभिन्न अवसरों पर सुझाये गये 18 संशोधनों को भी मान गये। परन्तु उपर्युक्त 18 संशोधनों के बावजूद इस विधेयक से विदेशी कम्पनियों को भारत में परमाणु संयंत्रों के स्थापित करने का मूलभूत रास्ता खुल गया। अमेरिकी कंपनियां बिना इस कानून के भारत में परमाणु संयंत्र नहीं लगा सकते थे। अगले एक दशक में भारत के 40 बड़े ऊर्जा संयंत्रों को वे खरीद लेंगे और आपूर्तिकर्ता यह उम्मीद भी लगाये बैठे है कि दोषपूर्ण उत्पादों के कारण होने वाले दुर्घटनाओं की क्षति का भार भी इस विधेयक के जरिये भारत को उठाना पड़े। प्रधानमंत्री महोदय इतना ही नहीं बल्कि इससे आगे और भी अधिक आपूर्तिकर्ताओं को आश्वासन देते हुये नजर आ रहे हैं। उन्होंने संपादकों के समूह को संबोधित करते हुये 6 सितम्बर 2010 को कहा "बहुत कुछ निर्भर करेगा कि नियम कानून किस तरह बनाये जा रहे हैं"। उन्होंने आपूर्तिकर्ताओं को आश्वस्त करते हुये कहा कि "हलवा कैसा बना है – उसका स्वाद खाने में ही पता चलेगा।

विधेयक के पारित होने के विरोध में तर्क संगत तथ्यों को ध्यान में लाना चाहिये, भारत अब स्वतंत्र है और किसी भी समय कन्वेंशन ऑन सप्लिमेंटरी कंपनसेशन (सीएससी) से संबंद्ध हो सकता है। धारा 1(13ए) के अनुसार भारत सरकार ने सरकारी कम्पनी को ही परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन के अधिकार दिये है अब संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत निजी क्षेत्रों को अलग नहीं किया गया है, जबकि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में

संशोधन न हो जाये निजी क्षेत्रों को इस क्षेत्र में प्रवेश धारा 7 के नये नियमों से मिल रहा है जिसके अनुसार केन्द्र सरकार, पूरी जिम्मेवारी दायित्व के संबंध में लेती है यदि परमाणु ऊर्जा संयंत्र उसके द्वारा संचालित नहीं है और जनता के हित में यदि वह आवश्यक समझती है"। इस तरह इस दायित्व का बोझ किसी निजी क्षेत्र पर न डालकर कर अदा करने वाली जनता के ऊपर डाल दिया।

धारा 6(2) के अनुसार संयंत्र को चलाने वाले और भारत सरकार के बीच अंततः सुलह के आधार पर हुई चर्चा को दरकिनार कर दिया गया जिसमें वामदलों ने 10,000 करोड़ की मांग रखी थी। जबकि यह राशि चेरनोनबिल में हुई परमाणु ऊर्जा दुर्घटना के समक्ष काफी छोटी राशि है। जबकि दायित्व संबंधी सभी मुआवजा 2122.40 करोड़ ही तय हुआ है जो धारा 6(1) के अनुसार है। यह राशि भोपाल दुर्घटना में मिले मुआवजे की राशि 470 मिलियन डॉलर से कम है। जिसे भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है।

धारा 17 में ऊर्जा संयंत्रों के संचालकों के अधिकारों पर बताया गया है। ऐसा महसूस किया गया है कि आपूर्तिकर्ताओं को "और", "इरादा" जैसे महत्वाकांक्षी शब्द प्रयोग कर निकलने का रास्ता नहीं दिया गया है। सबसे अधिक भ्रम में डालने वाली धारा 17(ए) है। भ्रम से बाहर निकलने के लिये यह आवश्यक कर दिया गया है कि संचालककर्ता और आपूर्तिकर्ता के बीच लिखित में अधिकारों का समझौता होना चाहिये।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार या न्युक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने स्वीकार किया है कि प्रति यूनिट उत्पन्न ऊर्जा की कीमत देश में पहले से कोयला आधारित या जल विद्युत आधारित ऊर्जा की कीमत से बहुत अधिक दर इनके द्वारा वसूली जायेगी। इस तरह इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुये सरकार द्वारा संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जायेगा।

कांग्रेस के भीतर और अवसरवादी प्रतिगामी भाजपाईयों के बीच विरोधाभास और तकरार मानसून सत्र से उजागर

मानसून सत्र के प्रथम सप्ताह के दौरान जो 26 जुलाई 2010 को प्रारंभ हुआ, दोनों ही सदनों में चल रही कार्यवाही बाधित हुई यह बाधा बढ़ती कीमतों पर चर्चा के दौरान विपक्ष की मांग को सरकार द्वारा नामंजुर कर देने और उसे वोटिंग में बदल देने से हुई। बढ़ती हुई अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि जो सभी आवश्यक वस्तुओं में देखी जा रही है और सबसे अधिक इसका दुष्प्रभाव आम गरीब जनता को भोगना पड़ रहा है। यह एक ज्वलंत समस्या है जिसे सभी विपक्षी पार्टियां और वामदलों ने अपना पहला एजेण्डा बनाया है।

इस गतिरोध को दूर करने के लिये सरकार ने सहमति का रास्ता अपनाया और 'मुद्रा स्फिति का आर्थिक दबाव और आम आदमी पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव' पर पूरी चर्चा कराने के लिये सदन में प्रस्ताव रखा 7 घंटे 49 मिनट की चर्चा के बाद एक प्रस्ताव जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया कि 'मुद्रा स्फिति का आर्थिक दबाव और आम आदमी पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव' पर प्रभावकारी कदम उठाये जायें और इस पर सहमति बनी।

मानसून सत्र के दौरान बढ़ती कीमतों के विषय के अलावा भारत सरकार विपक्ष के साथ कई अन्य विषयों पर समझौते करते हुये नजर आई इसका ज्वलंत उदाहरण सरकार के द्वारा पारित नागरिक परमाणु ऊर्जा दायित्व विधेयक है। सरकार ने इसे पारित किया और साथ में इसमें 18 संशोधन भी स्वीकार किये। परन्तु सदन में भूचाल सा आ गया जब इस विधेयक को पारित करने में कांग्रेस और भाजपा की सौदेबाजी सामने आई तथा सोहराबुद्दीन के फर्जी मुठभेड़ के मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया।

उपर्युक्त विधेयकों के अलावा सरकार ने चाहे या अनचाहे तरीके से कुछ अन्य विधेयकों को सिलैक्ट कमिटी को सौप दिया जैसे एजुकेशन ट्रीब्यूनल बिल, प्रिवेंशन ऑफ टार्चर बिल, एनमि प्रोपर्टी बिल और वक्फ (संशोधन) विधेयक। एजुकेशन ट्रिब्यूनल बिल के संदर्भ में राज्यसभा में कांग्रेस के के. केशव राव ने तिखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि इतनी तेजी के साथ इस बिल को लाने की क्या जरूरत है और मानव संशाधन कपिल सिब्बल को 'अव्वल दर्जे का फाईल ढकेलनेवाला' कहा। इस घटना ने मंत्री महोदय को दु:खी और उन्होंने प्रधानमंत्री के पास आपत्ति दर्ज की। चौंकाने वाली बात यह है कि यह विधेयक मंत्री परिषद ने पास कर दिया, जबकि कुछ कांग्रेस के नेता और मंत्री जैसे जनार्दन द्विवेदी और पवन बंसल ने राव साहब के बयान की खुली वकालत की। इससे सत्ताधारी पार्टी के भीतर बढ़ रहे अनुशासनहीनता की झलकी देखने को मिल रही है।

इस घटना के ही दिन बाद, गृहमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने 'भगवा आतंकवाद' की टिप्पणी खुले तौर पर कही। कांग्रेस की मिडिया सेल के अध्यक्ष जनार्दन द्विवेदी और महासचिव दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक रूप से चिदंबरम के इस बयान की आलोचना की और कहा कि 'आतंक का कोई रंग नहीं होगा, और शब्दों के प्रयोग में ध्यान दिया जाना चाहिये'। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी अंदर चल रहे झगड़े और अंतर्विरोधों की बाते सार्वजनिक रूप से सामने आने लगी है।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संपादकों - पत्रकारों से साक्षात्कार के दौरान यह कहकर आग में घी डालने का काम किया कि वे अपने पार्टी के लोगों और मंत्रीगणों की मुँह को बंद नहीं रख सकते। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें हर सदस्य को सार्वजनिक रूप से बोलने

की आजादी है। इस तरीके के अंतर्विरोध पूर्वकाल में 'जवाहर लाल नेहरू तथा इंदिरा गाँधी के कार्यकाल के दौरान भी देखे गये है'। मनमोहन सिंह के उपर्युक्त बयान के बाद कांग्रेस नेतृत्व के शक्तिशाली घटकों में चल रहे अंतर्विरोध जाहिर हो जाते है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा की भूमिका लोकसभा में इस मानसून सत्र के दौरान हास्यापद रही है, जिसकी जितनी भी आलोचना की जाये कम है। भाजपा के अवसरवादी प्रतिगामी चरित्र जो नागरिक दायित्व परमाणु ऊर्जा विधेयक के संदर्भ में जाहिर हो चुका है। भाजपा जो शुरू में इस विधेयक का विरोध कर रही थी जो साईस एण्ड टैक्नोलॉजी इनवायरमेन्ट एण्ड फोरेस्ट स्टैण्डिंग कमिटी के बहस में परिलक्षित हो रहा था को अपने पक्ष में मोड़ लेने में सफलता प्राप्त की। स्टैण्डिंग कमिटी के चर्चा की परिधि से बाहर कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व कुछ सौदेबाजी करते हुये दिखे और नतीजा यह हुआ कि भाजपा इस विधेयक के पूर्ण समर्थन में सामने आई। टैण्डिंग कमिटी में वाम सदस्यों की भूमिका यह थी कि पूरा वाम और इसके सहयोगियों ने इस विधेयक का दोनों ही सदनों में विरोध किया और विभाजन के लिये दबाव डाला, लेकिन असफल रहे। इस तरह मनमोहन सिंह अपने अति प्रिय नागरिक दायित्व परमाणु ऊर्जा विधेयक को पारित करने में सदन में सफल हुये तथा अमेरिकी अधिकारियों, ऊर्जा संयंत्र संचालकों और आपूर्तिकर्ताओं को खुश कर दिया।

व्यतीत हुये सदन के इस मानसून सत्र ने जनता के सामने विश्लेषण करने के लिये एक मौका दिया कि वह देख ले कि सत्ताधारी कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा वर्ग चरित्र क्या है? जनता के लिये उनकी भूमिका क्या है?

ऑल इण्डिया यूथ लीग राष्ट्रीय सम्मेलनः धनबाद में स्वागत कमिटी का गठन

धनबाद : 28 अगस्त 2010 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और शहीद–ए–आजम भगत सिंह के अनुयायियों की बड़ी उपस्थिति में धनबाद में सभा का आयोजन हुआ। सभा की अध्यक्षता ऑल इण्डिया यूथ लीग अध्यक्ष साथी मोईनुद्दीन शम्स ने की। सभा का उद्देश्य ऑल इण्डिया यूथ लीग की 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिये स्वागत कमिटी का गठन करना था। ऑल इण्डिया यूथ लीग प्रभारी साथी जी. देवराजन भी सभा में उपस्थित थे। उन्होंने सम्मेलन की योजना और कार्यक्रमों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि धनबाद कामगारों और देशभक्त युवाओं की ऐतिहासिक भूमी है। यहाँ हमने अपना 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक मनाया था। जिसका श्रेय झारखण्ड के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं विशेषण धनबाद के कार्यकर्ताओं को जाता है। अत: हमलोग हमें पूर्ण विश्वास है कि ऑल इण्डिया यूथ लीग का राष्ट्रीय सम्मेलन भी ऐतिहासिक होगा।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक झारखण्ड राज्य कमिटी अध्यक्षा साथी अपर्णा सेनगुप्ता और महासचिव साथी जनार्दन पाण्डेय ने विश्वास दिलाया कि सम्मेलन की सफलता के लिये सहायता एवं सहयोग करेंगे। ऑल इण्डिया यूथ लीग सचिव मण्डल के साथी शम्स, साथी संजयस भट्टाचार्य, साथी अजय अग्निहोत्री और साथी पूर्णिमा बिश्वास भी सभा में मौजूद थे जिन्होंने केन्द्रीय कमिटी के निर्णयों की व्याख्या की।

21वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिये स्वागत समिति निम्नवत् तैयार की गयी:

अध्यक्ष : साथी अपर्णा सेनगुप्ता
उपाध्यक्ष : साथी जनार्दन पाण्डेय
महाससचिव : साथी शानु चौधरी
उप कमिटी संयोजक :
प्रचार प्रसार : साथी मोफिज साहिल
भोजन : साथी बिमल रॉय
निवास : साथी हंजला बिन हक
स्वयं सेवक : साथी सुनील बर्मन
वित्त : साथी अजय अग्निहोत्री

प्रबंधन कमिटी सदस्य : साथी गौतम सेनगुप्ता, साथी जयनत पाण्डेय, साथी प्रेमचन्द गुप्ता, साथी अलाउद्दीन, साथी विशेश्वर प्रसाद, साथी सोमनाथ मुखर्जी, साथी मृणाल कांती महतो और साथी उर्मिला गुप्ता। आवश्यकतानुसार और भी सदस्य लिये जा सकते है।

राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों पर निगरानी कमिटी में साथी मोईनुद्दीन शम्स, साथी संजय भट्टाचार्य,साथी पूर्णिमा बिश्वास एवं साथी अजय अग्निहोत्री है।

सभा में कुल प्रतिनिधियों और उनके अनुसार राज्यों का कोटा भी प्रस्तुत किया गया। राज्यों के सम्मेलनों की तिथि एवं राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधी कोटा निम्नवत् तय किया गया।

राज्य	सम्मेलन की तिथी	प्रतिनिधी संख्या
जम्मू एवं कश्मीर		15
उत्तराखण्ड		10
उत्तर प्रदेश	31 अक्तूबर	50
पंजाब		10
हरियाणा		10
दिल्ली	6-7 नवम्बर	30
बिहार	7 नवम्बर	30
झारखण्ड	7 नवम्बर	50
उड़ीसा		20
पश्चिम बंगाल	19-21 नवम्बर	250
त्रिपुरा	13-14 नवम्बर	20
आसाम		20
केरल	25-26 सितम्बर	20
तमिलनाडु	12 सितम्बर	50
आन्ध्र प्रदेश		10
पुडुचैरी		10
मध्य प्रदेश		25
महाराष्ट्र	14 नवम्बर	30
मणिपुर		10
राजस्थान		10
अण्डमान एवं निकोबार		5

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर उच्चत्तम न्यायालय का आदेश सच्चाई से परे

हाल में उच्चत्तम न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) लोगों तक सीमित करने के आदेश को सच्चाई और भारतीय वास्तविकता से परे है। इस तरह इस आदेश से वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इसके वैधानिक ढाँचे को चोट पहुँचेगी। पूरे देश में बीपीएल परिवारों की गणना में घोर मतभेद है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जब सदन में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर बहस चल रही है तब उच्चत्तम न्यायालय इस तरह का आदेश दे। इसे एक गहरे आघात के रूप में ही देखा जा सकता है। सरकार को अत्यंत प्रभावकारी कदम उठाने चाहिये और सुरक्षित स्टॉक से खाद्यान्न की उचित मात्रा आवश्यक गरीब लोगों तक तुरन्त पहुँचाना चाहिये।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक सरकार से यह मांग करती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिये और तेजी से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर लगाम लगाने के लिये प्रभावकारी कदम उठायें।

सकल घरेलु उत्पाद की गणना : सरकार जनता को मूर्ख बना रही है।

वित्त मंत्रालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बीच सकल घरेलू उतपाद को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ वह चौकाने वाला है। देश की वास्तविक तस्वीर को सरकार ने छुपाया है और गलत आंकड़े देकर जनता को मूर्ख बना रही है।

सरकार के अनुसार अप्रैल से जून 2010 की तिमाही के दौरान देश की आर्थिक तरक्की की दर 8.8 प्रतिशत रही है उसी समय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जिसमें बाजार भाव में विकास दर्शाया गया है और जिसमें उत्पादन या सेवा क्षेत्र जिसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल है के अनुसार विकास दर 3.65 प्रतिशत है। वित्त मंत्रालय ने अपना आंकड़ा केन्द्रीय साख्यिकी संगठन (सीएसओ) की रिपोर्ट के आधार पर बनाया है जो कारक लागत (फेक्टर कोस्ट) पर आधारित है। उपर्युक्त दोनों रिर्पोटों से अलग-अलग विकास दरें जारी की गयी है। जिससे भ्रम उत्पन्न होता है और जनता के बीच में गलत संदेश जाता है।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थानीय निकाय चुनाव

अण्डमान एवं निकोबाद द्वीप समूह के पंचायत चुनाव एवं पोर्ट ब्लेयर के निगम चुनाव में अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के इतिहास में पहली बार चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया। जिसमें इसका प्रमुख नारा अण्डमान एवं निकोबार का नाम बदल कर 'शहीद एवं स्वराज द्वीप' था। जिसे सुनकर, देखकर लोगों की आँखें नम हो गयी और उन्होंने नेताजी और आजाद हिन्द फौज के इतिहास को याद किया। 16 स्थानों पर फारवर्ड ब्लॉक ने 'शेर चुनाव चिन्ह' के साथ अपने उम्मीदवार उतारे। केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव की ही तरह महत्त्वपूर्ण होते है।

साथी जी. देवराजन ने द्वीप का दौरा किया और कई जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन भाषण में लोगों से जागरूक होकर अपने हक लड़ाई के लिये भ्रष्टाचार, शोषण, कालाबाजारी आदि सामाजिक बुराईयों से संघर्ष करने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने चुनावी तैयारियों के साथी. ए.पाण्डियन, साथी एम. लिंगामाया, साथी वीरामनी आदि के साथ बैठक कर चुनावी रूपरेखा तैयार किी।

ऑल इण्डिया स्टुडेण्ट्स ब्लॉक पश्चिम बंगाल राज्य सम्मेलन के लिये तैयार

ऑल इण्डिया स्टुडेण्ट्स ब्लॉक की पश्चिम बंगाल इकाई राज्य सम्मेलन की तैयारी तेजी से कर रहा है। सम्मेलन का आयोजन उत्तर दिनाजपुर जिला के कनकी में 1, 2 और 3 अक्तूबर 2010 को होगा। सम्मेलन स्थल का नाम कामरेड रमजान अलि नगर होगा एवं मंच का नाम शहीद खुदीराम बोस होगा। सम्मेलन के अवसर पर नेताजी के जीवन चरित्रों एवं बलिदानों तथा साम्राज्यवाद के क्रूर चेहरों की चित्रों की दो प्रदर्शनियां लगायी जायेंगी। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जायेगा।

विभिन्न जिलाओं के सम्मेलन की तैयारी आरम्भ हो चुकी है। कॉलेज/यूनिवर्सिटी स्तरीय सम्मेलन का आयोजन विभिन्न जिलाओं में किया जा रहा है। जिला सम्मेलनों का आयोजन निम्नवत् होगा:

कोलकाता	25 सितम्बर 2010
हुगली	25-26 सितम्बर 2010
बिरभुम	26 सितम्बर 2010
मुर्शिदाबाद	26 सितम्बर 2010
जलपाईगुड़ी	26 सितम्बर 2010
उत्तर दिनाजपुर	18 सितम्बर 2010
पूर्वी मिदनापुर	16 सितम्बर 2010

अन्य जिला सम्मेलनों का आयोजन 30 सितम्बर 2010 तक पूरा कर लिया जायेगा। सम्मेलन में विभिन्न कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, आईटीआई संस्थानों, लॉ कॉलेज, टेक्निकल संस्थान आदि के चयनित प्रतिनिधी भाग लेंगे।

बिहार विधान सभा चुनाव

दिनांक 13 सितम्बर 2010 को पटना, बिहार में राज्य कमिटी की बैठक केन्द्रीय पर्यवेक्षक साथी हाफिज आलम सैरानी और साथी जनार्दन पाण्डेय की उपस्थिति में हुई।

बैठक में आगामी चुनाव के बारे में चर्चा हुई और वामपंथी दलों का इस चुनाव में भागीदारी का मूल्यांकन किया गया। बिहार प्रदेश महासचिव साथी अमेरिका महतो ने बताया कि दक्षिणपंथी को ताकतें जो देश को पूँजीपतियों की हितैषी है तथा देश को धर्म व जाती के नाम पर तोड़ रहे है उन्हें हराने के लिये वामपंथी दलों का आपसी तालमेल कर चुनाव लड़ने पर विचार किया गया। फारवर्ड ब्लॉक निम्न संभावित 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा – धमदाहा, पुर्णिया, बायसी, फुलपरास, मधुबन, गायघाट, रिगा, दिघा, बांकीपुर, पटना साहेब, मुंगेर, बरहरा, नवादा, अस्थावन, नालंदा, हरनौत, फुलवारी।

हांडी फोड़कर मनाएंगी मातम

नागदा, मध्य प्रदेश : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नगर आगमन पर टी.यू.सी.सी. ने विरोध जताया और कहा कि भूमाफियाओं पर कार्यवाही करें एवं सहायता प्रकरणों के निराकरण को दुरूस्त करने की मांग की ऐसा न होने पर सैकड़ों महिलाएं परिवार सहायता प्रकरणों के निराकरण की मांग को लेकर हांडी फोड़कर मातम मनायेंगी। इस आंदोलन का संचालन साथी श्याम सुन्दर बिश्नोई ने किया।

ऑल इण्डिया यूथ लीग

राष्ट्रीय सम्मेलन

27-29 नवम्बर 2010, धनबाद

अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति

राष्ट्रीय सम्मेलन

4-6 दिसम्बर 2010, कोलकाता

अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा

राष्ट्रीय अधिवेशन

19-21 दिसम्बर 2010, पटना

ऑल इण्डिया स्टुडेन्ट्स ब्लॉक

राष्ट्रीय सम्मेलन

10-12 दिसम्बर 2010, कानपुर

टी.यू.सी.सी.

राष्ट्रीय सम्मेलन

11-13 दिसम्बर 2010, भोपाल

जन संगठनों के पश्चिम बंगाल इकाई की सम्मेलन सूची

वर्ग संगठन	सम्मेलन की तिथि	स्थान
माध्यमिक शिक्षक संघ	25-26, सितम्बर 2010	पुरूलिया
ऑल इण्डिया स्टुडेन्ट्स ब्लॉक	1-3 अक्तूबर 2010	कानजी, उ. दिनाजपुर
टी.यू.सी.सी.	20-22 नवम्बर	मुर्शिदाबाद
ऑल इण्डिया यूथ लीग	19-21 नवम्बर	पाँचला, हावड़ा।
अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा	28-30 नवम्बर	कूच बिहार
अग्रगामी आदिवासी समिति	27-28 नवम्बर	पुरूलिया
प्राथमिक शिक्षक संघ	25-27 अक्तूबर	बीरभूम
भारतीय लोक संस्कृति संसद	दिसम्बर माह में।	
कृषि श्रमिक यूनियन	13-14 नवम्बर 2010, बालूरघाट, द. दिनाजपुर।	